COMMONWEALTH
OMBUDSMAN
OVERSEAS STUDENTS

अंतर्राष्ट्रीय छात्र – शिक्षा एजेंट

ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने का चयन करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्राएँ **शिक्षा एजेंट** की सेवाओं का उपयोग करते/करती हैं। इस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है आपको शिक्षा एजेंट का उपयोग करने की आवश्यकता **नहीं है**। आप सीधे शिक्षा प्रदाता (निजी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय) के साथ अध्ययन में अपना नामांकन करा सकते/सकती हैं।

वेबसाइट cricos.education.gov.au पर ऑस्ट्रेलिया में छात्र वीज़ा पर अध्ययन करने वाले लोगों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रदाताओं का रजिस्टर देखा जा सकता है।

यह तथ्य पत्रक शिक्षा एजेंटों के बारे में, और यदि आपको लगे कि कुछ सही ढंग से नहीं चल है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में है।

ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा एजेंट

ऑस्ट्रेलिया में कानून के तहत यह आवश्यक है शिक्षा प्रदाता अपने शिक्षा एजेंटों के साथ एक लिखित समझौता करें और अपना प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंटों के कार्य-कलापों की निगरानी करें। प्रदाताओं को अपने एजेंटों के लिए निम्नलिखित मानक अनिवार्य बनाने चाहिए:

- वे ईमानदारी के साथ, अच्छे विश्वास में और छात्र/छात्राओं के सर्वोत्तम हित में कार्य करें,
- ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में उचित जानकारी और समझ रखें, और
- ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण एजेंट आचार संहिता (Australian International Education and Training Agent Code of Ethics) को समझें।

छात्र/छात्राओं के लिए सुझाव

यदि आप किसी शिक्षा एजेंट का उपयोग करने का चयन करते/करती हैं, तो:

- यदि आपको पहले से ही पता है कि आप किस शिक्षा प्रदाता के साथ अध्ययन करना चाहते/चाहती हैं, तो उस प्रदाता द्वारा उपयोग किए जाने वाले शिक्षा एजेंट का चयन करना आपके लिए सबसे अच्छा रहता है। प्रदाता की वेबसाइट पर शिक्षा एजेंटों की सूची के लिए खोज करें।
- एजेंट जिस शिक्षा प्रदाता के लिए काम कर रहा है, आप एजेंट से उस प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए लिखित प्रमाण को दिखाने के लिए पूछकर भी इस बात की जांच कर सकते/सकती हैं कि क्या वह एजेंट आपके इच्छित शिक्षा प्रदाता द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि है या नहीं।

हमसे संपर्क करें

ombudsman.gov.au
1300 362 072

GPO Box 442
Canberra ACT 2601

अगर आपको लगता है कि आपका शिक्षा एजेंट बेईमानी से या अनैतिक व्यवहार कर रहा है, तो आपको तुरंत उसकी सेवाओं का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और सीधे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करना चाहिए।

राष्ट्रमंडल लोकपाल एक नि:शुल्क सेवा है

क्या आपने हमारा वीडियो देखा है? इसे देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें

- एजेंटों के साथ व्यवहार करते समय सावधान और सचेत रहें, जिससे कि आप अपने लिए सबसे उपयुक्त तथा अपने शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना सुनिश्चित कर सकें।
- यदि आपको ऐसा लगे कि आपका शिक्षा एजेंट बेईमानी से या अनैतिक व्यवहार कर रहा है, तो आपको तुरंत उसकी सेवाओं का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और सीधे अपने शिक्षा प्रदाता के साथ संपर्क करना चाहिए।
- एजेंट की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ सकती है, इसके बारे में एजेंट से पूछें।
- यदि आपसे किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाए, तो हस्ताक्षर करने से पहले या समझौते के लिए अपनी सहमति देने से पहले उन दस्तावेज़ों को सुनिश्चित रूप से समझ लें।
- अपने एजेंट और प्रदाता से मिले सभी कागज़ातों (जैसे भुगतान रसीदों) की प्रतियाँ, तथा आपके व शिक्षा एजेंट के बीच ईमेल, टेक्स्ट संदेश या फोन कॉलों के दौरान बनाए गए नोट्स जैसे सभी संचार को अपने पास सहेज कर रखें।
- अगर आपको आप्रवासन के बारे में सलाह की आवश्यकता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पंजीकृत किसी आप्रवासन एजेंट का उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है। यदि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोई शिक्षा एजेंट साथ में एक पंजीकृत आप्रवासन एजेंट (Registered Migration Agent) भी न हो, तो वह आपको वीज़ा और आप्रवासन के मामलों में जानकारी नहीं दे सकता है।

यदि अपने शिक्षा एजेंट के साथ मुझे कोई समस्या हो, तो मेरी सहायता कौन कर सकता है?

अपने शिक्षा एजेंट के बारे में सीधे अपने शिक्षा प्रदाता के साथ बात करें। यदि आपको किसी भी कठिनाई या समस्या का अनुभव हुआ हो, तो उसके बारे में समझाएँ। आप अपने शिक्षा प्रदाता की शिकायत और अपील प्रक्रिया का उपयोग करके उसके पास शिकायत कर सकते/सकती हैं।

यदि आप अपील के परिणाम से संतुष्ट न हों, तो आपके साथ जो हुआ है उसके बारे में आप राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) जैसे किसी बाहरी शिकायत निकाय के पास शिकायत कर सकते/सकती हैं।

मैं बाहरी शिकायत कैसे कर सकता/सकती हूँ?

यदि आप एक **निजी शिक्षा प्रदाता** के साथ अध्ययन करने वाले/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्रा हैं, तो आप राष्ट्रमंडल लोकपाल)Commonwealth Ombudsman(के पास शिकायत कर सकते/सकती हैं। लोकपाल)Ombudsman(ऑस्ट्रेलिया में निजी स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों (शिक्षा प्रदाताओं) के साथ भविष्य में अध्ययन करने के इच्छुक, वर्तमान में अध्ययन करने वाले, या भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्राओं को होने वाली समस्याओं के बारे में शिकायतों की जांच करते हैं। आप हमारा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते/सकती हैं या हमें **1300 362 072** पर फोन कर सकते/सकती हैं। शिकायत करने और हमसे संपर्क करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ombudsman.gov.au** पर जाएँ।

यदि आप एक **सार्वजनिक (सरकारी)शिक्षा प्रदाता** के साथ अध्ययन करने वालेछात्रा हैं/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू छात्र/, तो आप उपयुक्त राज्य या राज्यक्षेत्र लोकपाल- (state or territory ombudsman)[1] के पास शिकायत कर सकतेसकती हैं।/

मेरी सहायता और कौन कर सकता है?

आप हमारी वेबसाइट पर अपनी सहायता करने में सक्षम अन्य संगठनों के लिए उपयोगी कड़ियों[2] की सूची देख सकते/सकती हैं।

और अधिक जानकारी वेबसाइट **ombudsman.gov.au** पर उपलब्ध है।
कृपया ध्यान दें: इस प्रपत्र का उद्देश्य केवल एक निर्देशिका के रूप में मार्गदर्शन करना है। इसलिए व्यक्तिगत मामलों में इस जानकारी पर

[1] http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do
[2] http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links

कानूनी सलाह के रूप में या कानूनी सलाह के एक विकल्प के रूप में निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रमंडल लोकपाल कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक इस प्रपत्र पर निर्भरता के परिणामस्वरूप आपको होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उद्धृत अधिनियमों के सबसे अद्यतित संस्करणों के लिए कृपया Federal Register of Legislation देखें।